भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3934

गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023/16 चैत्र, 1945 (शक)

गिग कामगारों के अधिकारों का संरक्षण

3934. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गिग कामगारों को असंगठित श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भावी प्रावधान क्या हैं;

(ख) क्या उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत केन्द्र सरकार और समूहकों के बीच जिम्मेदारी को किस प्रकार विभाजित किया गया है; और

(घ) इन कामगारों की नौकरी की सुरक्षा के लिए निजी कंपनियों में क्या सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार गिग कामगार को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो काम करता है या काम की व्यवस्था में भाग लेता है और परंपरागत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से अर्जन करता है।

(ख): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में यह भी परिकल्पना की गई है कि समुचित सरकार असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक टोल फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन या ऐसे सुविधा केंद्र स्थापित करे ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं संबंधी सूचना का प्रसार करने, उनके पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने, प्रसंस्करण और अग्रेषित करने की सुविधा प्रदान करने, पंजीकरण कराने में उनकी सहायता करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनके नामांकन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(ग) और (घ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 केंद्रीय सरकार को सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने, असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए निगम द्वारा स्वीकार्य लाभ प्रदान करने के लिए योजना बनाने, एक टोल फ्री कॉल सेंटर या हेल्पलाइन या ऐसे सुविधा केंद्र स्थापित करने तथा असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के पंजीकरण आदि के समर्थ बनाती है। ।

इसके अलावा, संहिता में इन कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई और अधिसूचित प्रत्येक योजना में एग्रीगेटर्स की योजना में भूमिका का प्रावधान है। इसके अलावा, एग्रीगेटर द्वारा इन कामगारों को भुगतान की गई या देय राशि के 5% की सीमा के अध्यधीन किसी एग्रीगेटर की वार्षिक आय के 1 से 2% के बीच का अंशदान निधि के एक स्रोत के रूप में सामाजिक सुरक्षा निधि में दिया जाना परिकल्पित है।

तथापि, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार से संबंधित संहिता के तहत उपबंधों के लागू न होने के कारण किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

******